विश्व सांख्यिकी दिवस समारोह–2011
एक रिपोर्ट

प्रस्तुतिःप्रदीप कुमार मिश्रा,
परामर्शी, सी0आर0एस समन्वय कोषांग
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

दिनांक 20 अक्टुबर 2011

होटल पाटलीपुत्र अशोक

बिहार सरकार
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
(योजना एवं विकास विभाग)

दिनांक 20 अक्तुबर को होटल पाटलीपुत्र, पटना के सभागार में विश्व सांख्यिकी दिवस–2011 का आयोजन किया गया जिसमें शिक्षाविद, सिविल सोसाइटी संस्थाओं के प्रतिनिधि, निदेशालय के पदाधिकारीगण एवं मिडिया की प्रतिभागिता रही। इस अवसर पर श्री नरेन्द्र नारायण यादव, माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग द्वारा बिहार सांख्यिकी दर्पण नामक त्रैमासिक पत्रिका के प्रवेशांक का विमोचन किया गया तथा कलेक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक एक्ट–2008 एवं कलेक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक रूल्स–2011 पर विस्तृत चर्चा की गई साथ ही राज्य में इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के उपायों पर भी चर्चा की गई।

इस अवसर पर अपने उद्घाटन भाषण में बोलते हुए माननीय मंत्री महोदय ने राज्य में सांख्यिकी तंत्र के सुदृढ़ीकरण योजना पर प्रकाश डालते हुए कहा किः

राज्य के बच्चों का एक बड़ा भाग जन्म प्रमाण–पत्र से वंचित है। अतः एक विशेष अभियान के तहत विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के जन्म का निबंधन कर जन्म प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। इस कार्रवाई से राज्य में जन्म निबंधन के बैकलॉग के भी करीब दो करोड़ मामले निस्तारित किये जा सकेंगे। बिहार राज्य के नगर निगमों/नगर परिषद/नगर पंचायत एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ऑन–लाइन जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रेशन की प्रणाली भी प्रतिपादित की जायेगी जो अबतक देश के महानगरों में ही कार्यरत है।

पहले की अपेक्षा अब सांख्यिकी कार्यों में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। पंचायत स्तर तक कृषि सांख्यिकी का विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है। अतएव सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक जिले में स्थानीय स्तर पर आंकड़ों के संग्रहण के लिए स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित किया जाय तथा विभिन्न सांख्यिकी कार्यों के लिए उन्हें समय–समय पर मानदेय के आधार पर आंकड़ा संग्रह का कार्य कराया जाय। इसके तहत प्रत्येक पंचायत से तीन शिक्षित युवकों को (10+2 उत्तीर्ण) को प्रशिक्षित किया जायेगा एवं इनमें से एक का चयन कर उसके माध्यम से सांख्यिकी संबंधी आँकड़े प्राप्त किये जायेगें। ऐसे कर्मियों को मानयता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक के रुप में जाना जायेगा।

राज्य में सांख्यिकी कर्मियों के क्षमता वर्धन हेतु प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की महती योजना है इस कार्य में हमें भारत सरकार के माध्यम से विश्व बैंक की मदद भी मिल रही है। आगामी समय में सरकार की योजना है कि सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर आंकड़े के संग्रहण एवं विश्लषण को चुस्त दुरूस्त किया जाएगा।

इस अवसर पर बोलते हुए निदेशालय के पूर्व निदेशक श्री विजय प्रताप सिंह ने निदेशालय में पदाधिकारियों की कमी पर जोर डालते हुए उसे शीघ्र भरने का आग्रह किया ताकि आंकड़ों की विश्वसनीयता बढ़ाने हेतु कारगर अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण कार्य किया जा सके।

प्रो0 अरूण कुमार ने अपने भाषण में कहा कि सांख्यिकी राज्य के विकास में काफी महत्वपूर्ण है। यह बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने हेतु महत्वपर्ण टूल साबित हो सकती है। आवश्यकता है सांख्यिकी तंत्र को पंचायत स्तर तक सुदृढ़ कर प्रभावकारी एवं उपयोगी बनाने कीं। उन्होंने सुझाव दिया कि

सरकार को पंचायत स्तर पर सांख्यिकीय आंकड़े एकत्र करने हेतु अलग से कर्मी की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि आंकड़ों की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता बनी रहे।

पटना विष्वविद्यालय के भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो0 रास बिहारी ने कहा कि बगैर सांख्यिकी के किसी भी प्रकार के शोध की कल्पना नहीं की जा सकती। सांख्यिकी के प्रति आम जन में जागरूकता विकसित की जानी चाहिए ताकि सर्वेक्षण कार्यो में लोगों की सहभागिता बढ़े। सांख्यिकीय आंकड़े संग्रह करने हेतु जी0आइ0एस, दूर संवेदी तकनीक Remote Sensing Technique का प्रयोग किया जाना चाहिए।

पटना विष्वविद्यालय के सांख्यिकी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो0 अमरेन्द्र मिश्रा ने कहा कि यह हर्ष की बात है कि अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय ने विष्व सांख्यिकी दिवस का आयोजन किया है। आवष्यक है कि इस तरह के समारोह विकेन्द्रित तरीके से जिला तथा प्रखण्ड स्तर पर आयोजित किये जांय विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में इस तरह के कार्यक्रम हों ताकि नई पीढ़ी के साथ–साथ आम लोगों में भी सांख्यिकी के प्रति अभिरूचि पैदा हो। उन्होंने इस बात पर चिन्ता प्रकट किया कि आज बहुत कम विश्वविद्यालय हैं जहाँ सांख्यिकी विषय की पढ़ाई होती है। सरकार को चाहिए कि इस विषय के पढ़ाई की व्यवस्था और भी महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में शुरू करे। उन्होंने यह भी कहा कि सांख्यिकी के विकास हेतु निदशालय तथा विश्वविद्यालय को एक साथ मिलकर काम करना होगा और विश्वविद्यालय के सांख्यिकी विषय के छात्रों को निदेशालय से जोड़ने हेतु इन्टर्नशिप कार्यक्रम शुरू करने होंगे।

इन मुख्य वक्ताओं के अलावे जे0डी0वोमेन्स कालेज की अर्थशास्त्र विभाग की प्रो0 नन्दिनी मेहता एवं शोधार्थी सुश्री अनामिका प्रियदशिनी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए सुझाव दिया कि निदेशालय को जेंडर से जुड़े विभिन्न मानव विकास सूचकांको से संबंधित आंकड़े संग्रह करने हेतु पहल करने की जरूरत है।

वक्ताओं के भाषण के पश्चात पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री ए0के0 मिश्र ने पावर प्वाइन्ट प्रेजेन्टेषन के द्वारा कलेक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक एक्ट–2008 एवं कलेक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक रूल्स–2011 के प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा की। अपने प्रस्तुति में उन्होंने कहा कि इस केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये इस अधिनियम में सांख्यिकी संग्रह की व्यवस्था को चुस्त करने हेतु कई महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये हैं जिससे सामाजिक, जननांकीय, आर्थिक एवं पर्यावरण प्रक्षेत्र के आंकड़े संग्रह की प्रक्रिया को काफी गति मिलेगी एवं सुगमता आयेगी। इस अधिनियम के जरिये सूचना दाताओं को सूचना देने हेतु बाध्यकारी बनाते हुए उनके द्वारा दिये गये सूचनाओं की गोपनीयता एवं सांख्यिकीय जरूरतों के अलावे अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए व्यवहार करने पर रोक भी लगाई गयी है। इस अधिनियम में केन्द्र तथा राज्यों में एक नोडल ऑफिसर के नियुक्ति का प्रावधान है जिसका मुख्य कार्य सांख्यिकी के संग्रहण हेतु समय–समय पर अधिसूचना निर्गत करना है। इस अधिनियम में राज्य सरकार को सांख्यिकी पदाधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान है जो क्षेत्र विशेष में सांख्यिकी संग्रह हेतु मुख्य रूप से जिम्मेदार हाग।

अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री विजय प्रकाश, प्रधान सचिव योजना एवं विकास विभाग ने कहा कि निदेशालय को न सिर्फ सांख्यिकी एकत्र करने अपितु उसके विश्लेषण तथा रिपोर्ट लेखन व प्रकाशन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि कलेक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक एक्ट–2008 एवं कलेक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक रूल्स–2011 को राज्य में कारगर ढ़ंग से लागू करने हेतु नोडल अधिकारी की नियुक्ति हेतु निदेशालय को शीघ्र एक प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजने की जरूरत है तथा सांख्यिकी से जुड़े अधिकारियों के उपयोग हेतु एक हस्तक अथवा मार्गदशिका शीघ्र तैयार करने की आवश्यकता है।

समारोह का समापन श्री अवध किषोर सिन्हा, मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) द्वारा आगन्तुकों के धन्यवाद ज्ञापन से किया गया।